संख्या-65/2024-1006-22-4-2024-1864919

प्रेषक,

अभय कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 06 दिसम्बर, 2024

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश की कारागारों की पाकशालाओं हेतु आधुनिक उपकरणों के क्रय किए जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-31401/आधु-1/पाकशाला-उपकरण/24-25, दिनांक 22-10-2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश की 20 कारागारों हेतु कुल 24 अदद आटा गूथने की मशीन, प्रदेश की 03 कारागारों हेतु 03 अदद 2000 प्रति घण्टा क्षमता की चपाती मेकर मशीन, प्रदेश की 23 कारागारों हेतु 23 अदद भोजन वितरण ट्राली, प्रदेश की 10 कारागारों हेतु 15 अदद गेहूँ छन्ना मशीन एवं प्रदेश की 08 कारागारों हेतु 08 अदद आटा पेड़ा मेकर मशीन की व्यवस्था जेम पोर्टल पर निविदा के माध्यम से कराये जाने हेतु धनराशि **रू0 100.00 लाख (रूपया एक करोड़ मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नानुसार श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैः-

क्र0	उपकरण का नाम	कुल उपकरण	प्रति अदद आंकलित धनराशि (रू0 में)	कुल आंकलित धनराशि (रू0 में)
1	आटा गूंथने की मशीन	24	75,000/-	18,00,000/-
2	चपाती मेकर मशीन मय एयर सक्शन यूनिट (2000 चपाती प्रति घंटा)	03	13,00,000/-	39,00,000/-
3	भोजन वितरण ट्राली	23	40,000/-	9,20,000/-
4	गेंहू छन्ना	15	65,000/-	9,75,000/-
5	आटा पेड़ा मेकर मशीन	08	3,00625/-	24,05,000/-
				1,00,00,000/-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) महानिरीक्षक कारागार द्वारा उपकरण/सेवाओं का क्रय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 में दी गई व्यवस्था के माध्यम से समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करके नियमानुसार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) धनराशि आहरित करने से पूर्व महानिरीक्षक कारागार द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त उपकरणों के क्रय हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृत नही की गयी है। स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब उपकरणों आदि की निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी हो।

(3) महानिरीक्षक कारागार कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्तावित उपकरणों के मेक/माडल/ स्पेसिफिकेशन एवं संख्या के संबंध में विभागीय व्यवस्थाओं के अन्तर्गत संतुष्ट हो लेंगे।

(4) महानिरीक्षक कारागार क्रय किये जाने वाले उपकरणों की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के संबंध में पूर्णतः संतुष्ट हो लेंगे।

(5) उपकरणों का क्रय स्वीकृत धनराशि की सीमा में किया जायेगा तथा किसी प्रकार का विचलन नही किया जायेगा।

(6) महानिरीक्षक कारागार द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04.03.2024 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2025 तक सुनिश्चित कर लिया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4070008002100 कारागारों के पाकशालाओं का आधुनिकीकरण **मानक मद** 26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-12-513-X-2024-25, दिनांकः 5.12.2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

अभय कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव।

संख्या-65/2024-1006-22-4-2024-1864919, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।
(6) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभय कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in